न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–528/12 (आरसीएमएस नं. 2012/00032)

1. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री शिम्भू दयाल ,जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमू, जिला जयपुर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजेश कुमार पुत्र श्री शिम्भूदयाल निवासी रोड़ संख्या 18 वी.के.आई. बालाजी कयरिंग दुकान के सामने जयपुर।
2. नवीन कुमार पुत्र श्री शम्भूदयाल,
3. शिम्भूदयाल पुत्र हनुमान सहाय ब्राहाम्ण निवासी मुरलीपुरा स्कीम बैंक कॉलोनी ई–95, जयपुर।
4. ग्राम पंचायत ईटावा भोपजी पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील चौमू जिला जयपुर जरिये हाल सरंपच।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू, जिला जयपुर।
6. तेजपाल सिंह पुत्र श्री कजोड़ बाजिया, जाति जाट, निवासी सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिल सीकर, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 06.11.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार चौंमू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 29.07.2010 (प्रकरण संख्या 22/08) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र ग्राम ईटावा भोपजी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1916/3631, 1918, 1919, 1919/3294, 1920, 1921, 1922 कुल किता 7 कुल रकबा 1.77 हैक्टयर में से 1/2 हिस्से की खातेदारी उसके दादाजी हनुमान पुत्र नाथूलाल, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें से कुछ भूमि ताराचन्द टेलर व नानूराम कुमावत को बेच रखा है, शेष भूमि की वसीयत दिनांक 18.03.2008 को मेरे पक्ष में निष्पादित की हुई है, उक्त आराजी उसके दादाजी की क्रयशुदा आराजी है, उक्त आराजी पर वह काबिज होकर काश्त करता आ रहा है, राजेश कुमार ने अपने प्रार्थना में वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने बाबत निवेदन किया जिस पर तहसीलदार चौमू ने हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट ली गई, तथा पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि हनुमान का दिनांक 22.03.08 को स्वर्गवास हो चुका है तथा दिनांक 18.03.2008 को राजेश कुमार पुत्र शिम्भूदयाल के पक्ष में वसीयत की गई है, वसीयत के गवाह ने वसीयत उनके समक्ष होना बताया गया है रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजेश व गवाहों को जरिये नोटिस तलब किया गया है तथा बयानों में बताया कि उनके दादाजी की क्रयशुदा भूमि की वसीयत

P.T.O.

उनके नाम की गई है तथा वसीयत के बाबत किसी प्रकार का परिवारिक विवाद नही है तथा शिम्भूदयाल व नवीन कुमार ने उक्त वसीयत की जानकारी होना स्वीकार किया है तथा राजेश कुमार के नाम नामान्तरकरण खोले जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही होना जाहिर किया है, इस प्रकार तहसीलदार द्वारा अनरजिस्टर्ड अपंजीकृत वसीयत जिसको बिना प्रमाणित (प्रोबेट करवाये ही) किये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक फर्जी वसीयत को सही मानते हुये अपीलाधीन अदेश दिनांक 29.07.2010 पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कूटरचित दस्तावेजात हनुमान पुत्र नाथू की मृत्यु उपरान्त तैयार कर मृतक की भूमि को स्वयं के नाम लगवाकर उसका विक्रय कर दिया इन परिस्थितियों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मनन किये ही निर्णय अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कानून विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है मृतक हनुमान पुत्र नाथू की सम्पत्ति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलान्ट का भी अधिकार है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के समस्त वारिसान को बिना सूचित किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे अहम कानूनी भूल की है। उन्होने कथन किया है कि अपीलार्थीया हनुमान पुत्र नाथू की वारिसान है लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा जानबुझकर अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जिससे अपीलान्ट के हक प्रभावित हुए ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया के हक की रक्षार्थ अपील की अनुमति दिया जाना कानून आवश्यक है जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य है तथा अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाने से अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में नही हो सकी, दिनांक 12.10.12 के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अपीलधीन निर्णय की जानकारी होने से अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य है। अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाये जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य होने से अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौंमू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.10 को अपास्त किया जाकर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी स्व. श्री हनुमान पुत्र श्री नाथूलाल जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी एवं उक्त वर्णित आराजी खातेदारी भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादाजी हनुमान ने अपनी स्वयंअर्जित आय से खरीद की थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में एक वसीयतनामा दिनांक 18.02.2008 को किया गया है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादाजी हनुमान पुत्रा नाथूलाल

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

ब्राह्मण का स्वर्गवास होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण विस्तृत जॉच कर एवं बयानात लेकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार हनुमान पुत्र नाथूलाल द्वारा की वसीयत को किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में वसीयत के आधार पर पारित अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को गलत नही ठहराया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है एवं अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 भी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी को अपीलान्ट के दादा स्व. श्री हनुमान पुत्र नाथूलाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 17.01.1979 को खरीदा गया है तथा स्व. हनुमान पुत्र नाथूलाल द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 18.03.2008 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में की गई है एवं अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे कि उक्त वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया हो। ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2010 को अनुचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2010 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर